संख्या-24/2020/434/26-3-20202

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 10 फरवरी 2020

विषयः-मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों में छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की लम्बित देयता के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3446/स0क0/शिक्षा-अ/04/923/2019-20, दिनांक-12.12.2019 एवं पत्रांक-3401/स0क0/शिक्षा-अ/04/911/2019-20, दिनांक-10.12.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त निम्नलिखित प्रकरणों में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की लम्बित देयता के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि रूपये में)

क्रमसं0	रिट याचिका से सम्बन्धित प्रकरण	देयता का संक्षिप्त विवरण	वांछित धनराशि
1	रिट याचिका संख्या-60061/2017 माधुरी व 03 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेष दिनांक 15-12-2017 के अनुपालन में।	वर्ष 2015-16 में विवेकानन्द कालेज आफ टेक्नालाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, अलीगढ़ में एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम मे अध्ययनरत छात्र/छात्रायें यथा माधुरी, वर्शा राज, रजनेश गौतम एवं नितिन सिद्धार्थ की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में।	1,63, 400

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	रिट याचिका संख्या-60071/2017 अमित कुमार व 39 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15-12-2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।	रिट याचिका संख्या-60071/ 2017 अमित कुमार व 39 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15-12-2017 के अनुपालन में उक्त 11 छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में।	3, 99, 960
		योग	**5, 63, 360**

(रू0-पांच लाख तिरसठ हजार तीन सौ साठ मात्र)

भवदीय
सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-24/2020/434(1)/26-3-2020 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।